न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 196 / 2016

उनवान

1. नानू राम गोद पुत्र रामा कुमावत निवासी केसरपुरा तहसलल व जिला भीलवाडा

अपीलार्थी / विपक्षी

बनाम

1. लाला पिता रामसुख तेली निवासी केसरपुरा तहसील व जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा जिला भीलवाडा
3. झुमा पुत्री रामसुख तेली निवासी केसरपुर तहसील व जिला भीलवाडा
4. टमु पुत्री रामसुख तेली निवासी केसरपुरा तहसील व जिला भीलवाडा
5. सुडी पुत्री रामसुख तेली निवासी केसरपुरा तहसील व जिला भीलवाडा
6. फत्तु पिता काना तेली निवासी केसरपुरा तहसील व जिला भीलवाडा
7. रामेश्वर पिता काना तेली निवासी केसरपुरा तहसील व जिला भीलवाडा
8. भगवनी पुत्री काना तेली निवासी केसरपुरा तहसील व जिला भीलवाडा
9. कमली बेवा काना तेली निवासी केसरपुरा तहसील व जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्टस्

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 744/2015 निर्णय दिनांक 2.7.2016

अभिभाषक : 1. श्री अम्बा लाल कुमावत, ,अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री बी एल बापना अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 व 3 से 9
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 5.12.2017

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीण संख्या 1 व 3 से 9/प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा केसरपुरा पटवार क्षेत्र सेंथुरिया तहसील हमीरगढ स्थित आराजी नम्बर 539, 540, 544, 545, 546 कुल किता 5 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा स्थित है। उक्त आराजियात के अलावा विपक्षी संख्या नानूराम व अन्य खातेदारान एवं प्रार्थीगण के खसरा संख्या 543 रकबा 0.02 बिस्वा गैर मुमकिन चाह संयुक्त रूप से दर्ज है। जिसमें प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा है। वर्तमान में कुए में पानी नहीं है। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात किता 5 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा तथा शामलाती कुआ आता चाह नम्बर 543 पर आने जाने का एकमात्र कदीमी रास्ता विपक्षी संख्या 1 की आराजी नम्बर 542 रकबा 2 बीघा की पूर्वी मेड पर स्थित है जो करीब 15 फीट चौडा है। जिस पर होकर प्रार्थीगण के पूर्वज भी सदैव अपनी आराजियात पर संज, बैल, बैलगाडी ट्रेक्टर सहित व पैदल आते जाते रहे है। जिसका प्रार्थीगण को सुखाधिकार प्राप्त है। ग्राम केसरपुरा से निकल आम रास्ता संख्या 532 से होकर प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 1 की उक्त आराजी नम्बर 542 की पूर्वी मेड पर स्थित उक्त रास्ते से होकर कुआ

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

संख्या 544 पर पहूँचते हैं और उसके बाद कुआ संख्या 543 के उत्तर व पश्चिम में स्थित मेड है जो कि आराजी नम्बर 542 में स्थित है उससे होकर प्रार्थीगण अपनी आराजी नम्बर 542 पर पहूँचते हैं। प्रार्थीगण को अपनी उक्त आराजी पर पहूँचने के अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम केसरपुरा की आराजी नम्बर 542 रकबा 2 बीघा की पूर्वी मेड पर 20 फीट चौडाई का नया रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज करया जावे । अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आराजी नम्बर 542 में से 12 फीट रास्ता विपक्षी को देने व भूमि के बदले प्रार्थी समस्त रकबे की भूमि लगते हुए विपक्षी को देगा का निर्णय किया गया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका तर्क है कि प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 539, 540, 544 लगायक 546 किता 5 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा पर आने जाने के लिए पूर्व में रास्ता विद्यमान होते हुए भी प्रत्यर्थीगण प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया । जबकि उक्त धारा के तहत तभी आवेदन किया जा सकता है जबकि प्रार्थीगण को अपनी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आराजी तक पहूॅचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता ही उपलब्ध नहीं हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजरी नक्शें का इस संबंध में अवलोकन भी नहीं किया गया । नजरी नक्शे के अवलोकन से यह तथ्य बखूबी साबित होता है कि अपीलार्थीगण को अपनी आराजी तक पहूॅचने के लिए रास्ता उपलब्ध था। आराजी नम्बर 542 के अंदर प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट का कोई रास्ता नहीं है। वैकल्पिक रास्ता होने पर नया रास्ता कायम कराने का अधिकारी नहीं है। आराजी नम्बर 560 से होकर रास्ता उपलब्ध है।

4. अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में पटवारी हल्का ने जो मौका रिपोर्ट तैयार की उस पर किसी मौतबिरान अथवा पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं है। पटवारी हल्का ने जो नजरी नक्शा तैयार किया उसमें जो कदीमी रास्ता दर्शाया गया है । वह नक्शे में पूर्व में दर्ज तक नहीं था। मौके पर उपलब्ध नहीं है। अपीलाण्ट की आराजी में से होकर कभी भी प्रत्यर्थीगण अपनी आराजी में नहीं आते रहे हैं।

5. प्रत्यर्थीगण प्रार्थीगण के पास अपनी आराजी तक पहूॅचने के लिए रास्ता सुगमता से उपलब्ध होने के बावजूद छोटा रास्ता चाहे जाने की दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।

6. प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि विपक्षी ने आराजी नम्बर 542 जिसमें से होकर वे अपनी आराजियात पर आ जा रहे थे उसे हंकवा दिया है। प्रार्थीगण का यदि रास्ता बन्द कर दिया गया था तो वे उसे

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

खुलवाने के लिए धारा 251 के तहत रास्ता खुलवाने के लिए सक्षम न्यायालय में दाद हासिल कर सकते थे।

7. अपीलाण्ट/विपक्षी को अधीनस्थ न्यायालय मे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय कोर्ट केम्प सेथूरिया में प्रसारित किया गया है । प्रार्थना पत्र पर कहीं भी जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया । जिससे अपीलाण्ट पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रह गया । स्पीकिंग ऑर्डर भी पारित नहीं किये। अपीलाण्ट को दिनांक 2.7.2016 को लोक अदालत कैम्प हेतु नोटिस तामील कराये गये । जिसमें आगामी पेशी दिनांक 4.7.2016 रखी गई। जबकि निर्णय 2.7.2016 को ही सुना दिया गया । उससे पूर्व भी मूल प्रार्थना पत्र की कभी तामील नहीं हुई। पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 3.7.2016 कीहै तो निर्णय दिनांक 2.7. 2016 को कैसे सुना गया । अपीलाण्ट की उपस्थिति बाबत भी कोई अंकन निर्णय में नहीं किया है। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने न्यायिक उद्धरण आर आर टी 2016 (1) पेज 649 एवं डी एन जे (2) 2016 पेज 483, राजस्थान प्रभूराम बनाम राजस्थान राज्य वगेरह डी एन जे 2014 पेज 314 प्रस्तुत कर अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

8. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण ने अपनी आराजियात पर आने जाने के लिए अपीलाण्ट की आराजी नम्बर 542 में पूर्व से उपयोग में आने वाले रास्ते को बन्द कर हांक दिये जाने के कारण एवं अपनी आराजी पर पहूॅचने के लिए कोई वैकल्पिक

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रास्ता उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। **निर्णय दिनांक 2.7.2017 सहवन से लिख दिया गया था। जबकि निर्णय दिनांक 4.7.2017 को पारित हुआ था।** जो अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

9. अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट तलब की जिस पर पटवारी हल्का ने मौका रिपोर्ट तैयार की उसमें भी पटवारी हल्का द्वारा प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण की आराजियात तक पहूँचने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होना अंकित किया है। जिसके आधार पर प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजियात में रास्ता अपीलाधीन निर्णय द्वारा उपलब्ध कराया गया है। जितनी भूमि अपीलाण्ट की रास्ते के रूप में दिये जाने से कमी हुई है। उसकी पूर्ति प्रत्यर्थीगण की आराजी में से की गई है।

10. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाधीन निर्णय की पालना में राजस्व रेकार्ड में अमल भी हो गया है।

11. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिववक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की अपीलाण्ट को तामिल हो चुकी थी परन्तु बाद तामिल नोटिस न्यायालय में प्राप्त नहीं हुआ था। अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है वह विधिसम्मत है। अतः' अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

12. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की आराजियात केसरपुरा पटवार

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

क्षेत्र सेंथुरिया तहसील हमीरगढ स्थित आराजी नम्बर 539, 540, 544, 545, 546 कुल किता 5 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा स्थित है। उक्त आराजियात के अलावा विपक्षी संख्या नानूराम व अन्य खातेदारान एवं प्रार्थीगण के खसरा संख्या 543 रकबा 0.02 बिस्वा गैर मुमकिन चाह संयुक्त रूप दर्ज है। जिसमें प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा है। प्रार्थीगण ने कथन किया है कि उक्त आराजियात किता 5 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा तथा शामलाती कुआ आता चाह नम्बर 543 पर आने जाने का एकमात्र कदीमी रास्ता विपक्षी संख्या 1 की आराजी नम्बर 542 रकबा 2 बीघा की पूर्वी मेड पर स्थित है जो करीब 15 फीट चौडा है। जिस पर होकर प्रार्थीगण के पूर्वज भी सदैव अपनी आराजियात पर संज, बैल, बैलगाडी ट्रेक्टर सहित व पैदल आते जाते रहे है। प्रार्थीगण को अपनी उक्त आराजी पर पहूँचने के अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।

13. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली दिनांक 3.12.2015 को दर्ज रजिस्टर होकर अपीलाण्ट/विपक्षी को नोटिस की तामिल होने के उपरान्त बाद तामिल नोटिस पत्रावली में संलग्न नहीं है । निर्धारित पेशी दिनांक 27.4.2016 को थी परन्तु उसके बाद दिनांक 2.7.2016 को कैम्प कोर्ट में निर्णय सुनाया गया । कैम्प कोर्ट के अपीलाण्ट को दिये गये नोटिस में पेशी दिनांक 4.7.2016 को होना अंकित किया गया व तामीली दिनांक 2.7.2016 को की गई। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 3.7.2016 को ली गई जबकि निर्णय दिनांक 2.7.2016 को ही पारित कर दिया गया । जिससे मामले में संदिग्धता से इंकार नहीं किया जा सकता है। अपीलाण्ट की उपस्थिति, जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने काक अवसर दिये जाने की सुनिश्चितता के बिना ही

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया । पटवारी हल्का द्वारा बनाये गये मौका पर्चा रिपोर्ट पर भी अपीलाण्ट के हस्ताक्षर नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना प्रकट नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में उभपयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करते। अपीलाण्ट/विपक्षी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

14. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 2.7.2016 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.1.18 को उपस्थित रहे।

15. निर्णय आज दिनांक 5.12.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

5/12/17

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा